



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 326]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 1980/आश्विन 30, 1902

No. 326]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 1980/ASVINA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1980

सां० कां० क्रि० 594(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के वर्ग "ग" के पदों की भर्ती विधि को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; मामतः

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (वर्ग ग के पद) भर्ती नियमावली, 1980 कहा जाय ।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।
2. उपयोग :—ये नियम इन नियमों के साथ अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।
3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है ।
4. भर्ती की विधि, प्राप्तिमा, अर्हताएं, आदि :—उन पदों पर भर्ती की विधि, प्राप्तिमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट है ।

5. अनुमति : कोई व्यक्ति—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है, अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, उक्त किसी भी पक्ष पर नियुक्ति होने का पात्र नहीं है/होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अर्थात् अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से बाध छूट दे सकती है ।

6. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह निम्नलिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

7. व्याप्ति :—इस विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए, जिन आरक्षणों, प्राप्ति में छूट तथा और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना प्रचलित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद प्रथम पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेषित शैक्षिक तथा अन्य महत्वाएं
1	2	3	4	5	6	7
1. भक्षिका	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' द्वारा नियुक्त (अनुसूचित)	550-20-650 25-750-५०	अध्ययन	साथ नहीं होता	साथ नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक महत्वाएं प्रोन्नति की वृद्धि में लागू होगी या नहीं

परिक्षा की प्रथम यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वृद्धि में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

प्रोन्नति भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

8	9	10	11	12	13
साथ नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत	निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा (1) इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी/अधीनस्थ (2) उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले हेड क्लर्क ऊपर दी गई फील्ड श्रेणियों तथा ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक-सहायक तथा स्टोर क्लर्क में से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा	(1) उपनिदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—2 (2) स्वस्थ सेवा महा-निदेशालय/इस निदेशालय के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उप-निदेशक प्रशासन/प्रशासनिक अधिकारी—2 (3) उप महायुक्त निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—1 डिप्टी निदेशक उप-निदेशक सम्मिलित होंगे।	साथ नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. संहार अधिकारी	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' द्वारा नियुक्त (अनुसूचित)	455-15-580- ब०रो०-20-700 रुपये	अध्ययन	18-25 वर्ष के बीच (सर्वाधिक कर्मचारियों को 35 वर्ष तक छूट दी जा सकती है)	(1) स्थातक (2) पर्यवेक्षी के रूप में संहार का 2 वर्ष का अनुभव। यदि चयन के किसी स्तर पर संहार अधिकारी की राय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जात जातियों के लिए प्रारंभित रिक्तियों को भरने के लिए प्रेषित अनुभव वाले इन समुदायों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो वह अपने निवेदन पर इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित महत्वाओं को छूट दे सकता है।

8	9	10	11	12	13
नहीं	वो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले हूँ कर्मकों में से प्रोन्नति द्वारा	(1) उपनिदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य-क्रम—2 (2) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय/इस निदेशालय के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उपनिदेशक प्रशासन/प्रशासनिक अधिकारी—2 (3) उप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—1 टिप्पणी :—वरिष्ठतम उप-निदेशक प्रत्यक्ष होंगे।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. (1) निदेशक का प्राशुलिक (2) वरिष्ठ प्राशु-लिक	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'न' प्रराजपन्नित (अनुभवबिबीय)	425-15-500- व० रो०-15-560- 20-700 रु०	अवयव	18-25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष तक की छूट)	प्रतिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय प्रथमा बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य प्रहता। (2) माटेहूड तथा टाहपिंग में क्रमशः 120 तथा 40 गण्य प्रति मिनट की गति बाछनीय : (1) विश्वविद्यालय की डिग्री (2) अर्ध सरकारी कार्यालय प्रथवा उपक्रम में प्राशुलिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
नहीं	वो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले प्राशु-लिकों में से प्रोन्नति द्वारा	(1) उपनिदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य-क्रम—2 (2) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय/इस निदेशालय के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उप-निदेशक प्रशासन/प्रशा-सनिक अधिकारी—2 (3) उप सहायक निदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—1 टिप्पणी :—वरिष्ठतम उप-निदेशक प्रत्यक्ष होंगे।	लागू नहीं होता



1	2	3	4	5	6	7
4. हेड क्लर्क	1 सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' ग्राज- पत्रित (अनुसन्धि- कीय)	425-15-500- ब०रो०-15-560- 20-700 रु०	नयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा अन्त्यथा प्रति- नियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियु- क्ति सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक सह-संगणक तथा स्टोर कीपर में से प्रोन्नति द्वारा। प्रोन्नति : केन्द्र सरकार के अधीन सयुक्त पदों अथवा उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर काम कर रहे काम में कम पांच वर्ष के अनुभव वाले व्य- क्तियों में से 1 (प्रति- नियुक्ति की अवधि सामा- न्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(1) उपनिदेशक, राष्ट्रीय मनेरिया उन्मूलन कार्य- क्रम—2 (2) स्वास्थ्य सेवा महा- निदेशालय/इस निदेशालय के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उपनिदेशक प्रशासन/प्रशासनिक अधि- कारी—2 (3) उप सहायक निदे- शक, राष्ट्रीय मनेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—1 टिप्पणी :—वरिष्ठतम उप- निदेशक अव्यक्त होंगे।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. प्राध्यापिक	11 सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' ग्राज- पत्रित (अनुसन्धि- कीय)	330-10-380- ब०रो०-12-500- द०रो०-15-560 रुपये	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों को 35 वर्ष तक की छूट)	अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य प्रहृता। (2) शार्ट हैंड तथा टाइपिंग में क्रमशः 100 तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति।	

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सोधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) उप निदेशक राष्ट्रीय मनेरिया उन्मूलन कार्य- क्रम—2 (2) स्वास्थ्य सेवा महा- निदेशालय/इस निदेशालय के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उप निदेशक प्रशासन/प्रशास- निक अधिकारी—2 (3) उप निदेशक, राष्ट्रीय मनेरिया उन्मूलन कार्य- क्रम—1 टिप्पणी :—वरिष्ठतम उप निदेशक अव्यक्त होंगे।	लागू नहीं होता



1	2	3	4	5	6	7
6. (1) उच्च श्रेणी लिपिक	20	केन्द्रीय सामान्य सेवा वर्ग 'ग' भराज-पत्रित (अनुसूचि-वीय)	330-10-380 ब०रो०-12-500 ब०रो०-15-560 द०	प्रचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(2) उच्च श्रेणी लिपिक सह-संगणक	38					
8	9	10	11	12	13	
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत	इस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले प्रवर श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा	(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम -- 2	लागू नहीं होता	
			इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले प्रवर श्रेणी लिपिकों में से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा ]	(2) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय इस निदेशालय के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उप निदेशक प्रशासन/प्रशासनिक अधिकारी -- 2		
				(3) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम - 1		
				टिप्पणी :- वरिष्ठतम उप निदेशक प्रशासन होते		

1	2	3	4	5	6	7
7. स्टोर कीपर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' भराज-पत्रित (अनुसूचि-वीय)	330-10-380- ब०रो०-12-500 ब०रो०-15-560 द०	प्रचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए 25 वर्ष तक की छूट)	स्टोर कीपिंग में एक वर्ष के अनुभव सहित विश्वविद्यालय की डिग्री यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की राय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए प्रारंभित रिक्तियों को भरने के लिए प्रपेशित अनुभव वाले इन समुदायों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो वह अपने विवेक पर इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित महत्ता में छूट सकती है।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोबलिट द्वारा प्रत्येक सीधी भर्ती द्वारा	इस पेज में 8 वर्ष के अनुभव वाले प्रवर श्रेणी लिपिकों में से प्रोबलिट द्वारा	(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम — 2 (2) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय इस निदेशालय के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उप निदेशक शासन प्रशासनिक अधिकारी — 2 (3) उप सहायक निदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम — 1	लागू नहीं होता
				टिप्पणी :— बरिष्ठतम उप निदेशक प्रत्यक्ष होंगे।	

1	2	3	4	5	6	7
8. प्रवर श्रेणी लिपिक	34	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' अराजपत्रित (अनुसूचित)	260-6-290- ब०रो०-6-326 8-366-६००- 8-390-10-400 रुपये	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय प्रथम बोर्ड से मैट्रिक प्रथम समतुल्य भर्ती (ii) टाइप राइटिंग में लगभग प्रति निमट 30 शब्द

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 10 प्रतिशत रिक्तियाँ विभागीय परीक्षा के आधार पर वर्ग 'घ' के उन कर्मचारियों से भरी जाएंगी जो मैट्रिक प्रथम इसके समतुल्य भर्ती करते हों और जिन्होंने वर्ग 'डो' में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों और अंत जातियों के लिए 50 वर्ष) है, परन्तु यह जाने वाले व्यक्तियों की संख्या उस वर्ष के दौरान प्रवर श्रेणी लिपिक के क्षेत्र में उपलब्ध हुई रिक्तियों का 10 प्रतिशत तक ही सीमित होगी और न भरी गई रिक्तियाँ अग्रणीत नहीं की जाएंगी।	लागू नहीं होता	(i) उप निदेशक, राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम — 2 (ii) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय/इस निदेशालय के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित किसी अन्य संस्थान के उप निदेशक शासन/प्रशासन अधिकारी— 2 (iii) उप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम— 1	लागू नहीं होता
				टिप्पणी :— बरिष्ठतम उप निदेशक होंगे	

1	2	3	4	5	6	7
9. हाफ्ट्समैन मैकेनिकल	1 सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' पराजपक्षित (अनुसूचित)	426-15-500-8000 15-660-20-700-रुपये	अवधन	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक की छूट)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रहैता तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा या प्रोबरीयर्स परमाणविक	
					(2) मैकेनिकल हाफ्ट्समैनशिप में एक वर्ष का अनुभव यदि ज्वेल के किसी भी स्तर पर मश्रम अधिकारों का यह मन हो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं पर प्रवेश के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार पदार्थ मंडा में उल्लेख होने की संभावना नहीं है, तो सलम प्राधिकारियों के विवेक पर इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव से संबंधित प्रहैता में छूट दी जा सकती है।	

8	9	10	11	12	13
नहीं	10 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, अथवा सीधी भर्ती द्वारा	अपने क्षेत्र में 8 वर्ष की, नियमित सेवा वाले हाफ्ट्समैन से प्रोन्नति द्वारा	(1) उपनिदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—2 (2) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय। इन निदेशालय के बिस्नी/नई बिस्नी में स्थित किसी अन्य संस्थान के उप निदेशक प्रशासनिक अधिकारी—2 (3) उप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—1 टिप्पणी :—दरिद्रतम उप निदेशक अध्यक्ष होगे	नाम नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
10. हाफ्ट्समैन	1 सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' पराजपक्षित (अनुसूचित)	260-8-300-8000 8-340-10-380- 8000-10-430	नाम नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य प्रहैता और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाफ्ट्समैनशिप में डिप्लोमा।	



8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	1 उपनिदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-2	
				2. स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय । इस निदेशालय के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उपनिदेशक प्रशासन/प्रशासनिक अधिकारी—2	
				3. उप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—1	
				टिप्पणी— वरिष्ठतम उप-निदेशक धम्पक्ष होंगे ।	

1	2	3	4	5	6	7
11. अनुसंधान सहायक	2 सामान्य केन्द्रीय सेवा, बर्ग "ग" अग्रज-पश्चिम (अनुसंधान-वीर)	425-15-500-दर्रो-15-560-20-700-पक्षे	चयन	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक की छूट	अनिवार्य :—प्राणि विज्ञान में मास्टर्स डिग्री बाउन्दीय : किसी विश्वविद्यालय/अनुसंधान प्रयोगशाला में दो वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव	

8	9	10	11	12	13
आर्यु—नहीं शैक्षिक परीक्षाएँ— स्तर 11 में स्था निर्धारित	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	अपने क्षेत्र में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ तकनी-शियन / तकनीशियन जो विज्ञान के स्नातकों हों, वे प्रोन्नति द्वारा	(1) उपनिदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य-क्रम—2  (2) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय । इस निदेशालय के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी स्थित अन्य संस्थान के उपनिदेशक प्रशासन/प्रशासनिक अधिकारी—2  (3) उप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—1  टिप्पणी— वरिष्ठतम उपनिदेशक धम्पक्ष होंगे ।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
12 तकनीकीशिक्षण/ वरिष्ठ तकनीकी- शिक्षण	56 सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग "ग" घराज- पत्रित (घननुसन्धिया)	380-12-500-४००० 15-500 रुपये	अवयव	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक की छूट)	प्रतिवार्य:- जीवविज्ञान/जीव रसायन विज्ञान/ सूक्ष्मजीव विज्ञान में स्नातक स्नातक	विज्ञान/ विज्ञान में विज्ञान
<p>बाह्यनीय :- किसी चिकित्सा/जीवविज्ञान प्रयोग- शाला में एक वर्ष का आवाह्वारिक अनुभव</p>						

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा- सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	260-430 रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ तकनीकीशिक्षण/ प्रयोगशाला सहायक में से किसी भी ग्रेड में 8 वर्ष की मिली जुनी निय- मित सेवा वाले कर्मचारियों से प्रोन्नति द्वारा	1 उपनिदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य- क्रम-2 2 स्वास्थ्य सेवा महा- निदेशालय/ इस निदे- शालय के दिल्ली/ नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उप- निदेशक, प्रशासन/प्रशा- सनिक अधिकारी-2 3 उप-सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन-कार्यक्रम-1 (टिप्पणी:- वार्षिकतम उप-निदेशक अध्यक्ष होंगे।)	सागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
13 प्रयोगशाला महायक/कनिष्ठ तकनीकीशिक्षण	58 सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग "ग" घराज- पत्रित (घननुस- न्धिया)	260-8-300-४००० -8-340-10- 380-४०००- 10-430 रुपये	अवयव	18 से 25 वर्ष के बीच सरकारी कर्मचा- रियों के मामले में 35 वर्ष तक की छूट	प्रतिवार्य:- विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि बाह्यनीय :- किसी चिकित्सा/ जीव विज्ञान प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव	

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	अपने ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले कीट-संग्रहकर्ता (इन्सेक्ट कलेक्टर) से प्रोन्नति द्वारा	(1) उपनिदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-2 (2) स्वास्थ्य सेवा महा- निदेशालय। इस संस्थान के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उपनिदेशक/ प्रशासन / प्रशासनिक अधिकारी-2 (3) उप-सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-1 (टिप्पणी:- वार्षिकतम उप- निदेशक अध्यक्ष होंगे।)	सागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
14. कोट ब्रह्मकुर्ता (इंस्टीट्यूट ऑफ़ कलक्टर)	30 सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' द्वारा अप्रक्षित (अनुसूचित जाति)	260-6-326-ब० रो० 8-350-रूपये	सागु नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक की छूट)	अतिवार्य:— उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकेंडरी) विज्ञान विषय सहित	राष्ट्रीय :—चिकित्सा/जीवविज्ञान प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव

8	9	10	11	12	13
सागु नहीं होता	दो वर्ष 1	सीधी भर्ती द्वारा	सागु नहीं होता	(1) उपनिदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—2 (2) स्वास्थ्य सेवा महा- निदेशालय दिल्ली / नई दिल्ली में स्थित इस निदेशालय के किसी अन्य संस्थान के उपनिदेशक, प्रशा- सन/प्रशासनिक अधि- कारी—2 (3) उप-सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—1  (टिप्पणी:—चरिष्ठतम उप- निदेशक इसका अध्यक्ष होया।)	सागु नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
15. मैकेनिक	2 सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' द्वारा अप्रक्षित (अनुसूचित जाति)	260-6-326-ब० रो० 8-350-रूपये	सागु नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक की छूट)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक प्रथमा समतुल्य प्रवृत्ति। (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक तथा इलेक्ट्रिकल वैरिबल और फ़िटर में डिप्लोमा। यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की राय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रारक्षित-रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले इन समुदायों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो वह अपने विवेक पर इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित प्रवृत्ति में छूट दे सकता है।	



8	9	10	11	12	13
लाग नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—2 (2) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय (दिल्ली) नई दिल्ली में इस निदेशालय के किसी अन्य संस्थान से उप-निदेशक प्रशासन/प्रशासनिक अधिकारी—2 (3) उप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—1 टिप्पणी:—वरिष्ठतम उप निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
16. (1) ग्राहवर (2) ग्राहवर-सह-मैकेनिक	26	सामान्य क्षेत्रीय सेवा, वर्ग "ग" द्वारा-पंक्ति (अनुसूचि क्षेत्र)	260-6-326-3-2-10-2-350	चयन	18-25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक छूट)।	प्रतिवार्य:— (1) वैद्य-ग्राहविग माहिर हो। (2) ग्राहविग का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। वांछनीय:—मिडिल पास

8	9	10	11	12	13
प्राप्त —नहीं ग्रहण—हां	दो वर्ष	25 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा प्रत्येक सीधी भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत सीधी भर्ती	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ग्रहण रखने वाले वर्ग "ब" के कर्मचारियों में से इस पद के लिए उपयुक्तता की जांच करने तथा स्टाफ कार ग्राहवरों के लिए आवश्यक सक्षमता मानक ग्राहविग टेस्ट के परिणाम पर स्थानांतरण द्वारा।	1. उप निदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—2 2. स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय/ इस संस्थान के दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उप निदेशक प्रशासन/प्रशासनिक अधिकारी—2 3. उप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—1 टिप्पणी:—वरिष्ठतम उप निदेशक अध्यक्ष होंगे।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
17. मलेरिया निरीक्षक	5	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग "ग" घराय-पत्रित (अनुसूचित) 330-10-380-र० रो० 12-500-र० रो० 15-560 रुपये	अवन	18 से 25 वर्ष के बीच (आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में (घण्ट-मान तथा निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर) उम्मीदवार से आवेदन पत्र प्राप्ति की आखिरी तारीख होगी।	अनिवार्य:— 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य प्रहृता (2) सैनिकी/स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम पास किया होना चाहिए। आछनीय:— मलेरिया विज्ञान/काह्लेरिया विज्ञान में प्रशिक्षण।	विश्व-विद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य प्रहृता (2) सैनिकी/स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम पास किया होना चाहिए। आछनीय:— मलेरिया विज्ञान/काह्लेरिया विज्ञान में प्रशिक्षण।

8	9	10	11	12	13
आयु—नहीं प्रहृता—जैसाकि आनम न० 11 में बताया गया है।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधे अर्हा द्वारा	260-430 रुपये के वेतनमान में ऐसे प्रयोगशाला सहायकों/कनिष्ठ टैक्नीशियनों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने मले-रिया/काह्लेरिया/स्वास्थ्य सैनिकी निरीक्षक पाठ्यक्रम पास किया हो तथा जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो अन्यथा 260—350 रु० के वेतनमान में ऐसे कोट संयुक्तताओं में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने मलेरिया/काह्लेरिया/सैनिकी स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम पास किया हो तथा जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो)	1. उप निदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम—2 2. स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय। इस निवे-ज्ञालय के दिल्ली/आई दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उप निवे-ज्ञक प्रशासन/प्रशासनिक अधिकारी—2 3. उप सहायक निदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मू-लन कार्यक्रम—1 टिप्पणी:—वरिष्ठतम उप निदेशक अध्यक्ष होंगे।	सा/गू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
18. टेलीफोन आपरेटर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "ग" घरायपत्रित (अनुसूचित) 260-6-290-र० रो० 6-326-र० रो० 8-366-र० रो० 8-390-10-400 रुपये।	सा/गू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक छूट)	1. किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रहृता (2) टेलीफोन आपरेटर के रूप में तथा पी० डी० एस संचालन का अनुभव	विश्व-विद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रहृता (2) टेलीफोन आपरेटर के रूप में तथा पी० डी० एस संचालन का अनुभव

8	9	10	11	12	13
नागू नहीं होता ।	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।	नागू नहीं होता ।	1. उप निदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य-क्रम-2	नागू नहीं होता ।
				2. स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय । इस निदेशालय के बिल्वी/नदी दिल्ली में स्थित किसी अन्य संस्थान के उप-निदेशक प्रशासन/प्रशासनिक अधिकारी-2	
				3. उप सहायक निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-1	
				टिप्पणी : वरिष्ठतम उप-निदेशक अध्यक्ष होंगे ।	

[संख्या : ए० 12018/11/79-प्रशासन-2/ सी०एण्ड सी० डी०]

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 22nd October, 1980

G.S.R. 594(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the National Malaria Eradication Programme, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Malaria Eradication Programme (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, Classification and Scale of Pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit qualifications etc.—The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage, with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.



## SCHEDULE

Name of the post	No. of posts.	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-Selection posts.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Superintendent	2	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial).	Rs. 550-20-650-25-750.	Non-Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment, by promotion/transfer, grades, from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	50% by promotion 50% by promotion through limited departmental examination.	By promotion from :— (i) Stores Superintendent with 3 years regular service in the grade. (ii) Head Clerk with 5 years regular service in the grade. By promotion through limited departmental examination from the feeder categories mentioned above and from Upper Division Clerk, Upper Division Clerk-cum-Computer and Store-keeper with 8 years regular service in the grade.	(i) Deputy Directors, National Malaria Eradication Programme—2 (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi-2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme-1 Note:—Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
2. Store Superintendent	1	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial).	Rs. 455-15-560-EB-20-700	Non-Selection	Between 18-25 years (Relaxable upto 35 years in case of Govt. servants.	(i) Graduate. (ii) 2 years stores experience in a supervisory capacity. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	By promotion from Head Clerks with 3 years regular service in the grade.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme-2. (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi-2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme-1. Note.—Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
3. (i) Stenographer-to Director (ii) Senior Stenographer	1 8	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted (Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Non-Selection	Between 18-25 years (Relaxable upto 35 years in case of Govt. servants).	Essential : (i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised University or Board. (ii) Speed in short-hand and typing 120 and 40 words per minute respectively. Desirable : (i) A University degree. (ii) 5 years' experience as Stenographer in semi-Government Office or Undertaking.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	By promotion from Stenographers with 5 years' regular service in the grade.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme-2. (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi-2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme-1. Note.—Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
4. Head Clerk	1	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted. (Ministerial).	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Selection	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion from Upper Division Clerk, Upper Division Clerk-cum-Computer and Store-keeper with 5 years regular service in the grade. Deputation : From persons holding analogous posts or posts of Upper Division Clerk with at least 5 years regular service under the Central Government. (Period of deputation shall not ordinarily exceed 3 years.)	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme-2 (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi-2 (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme-1 Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
5. Stenographer	11	General Central Service Group 'C' Non-gazetted. (Ministerial).	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable.	Between 18-25 years (Relaxable upto 35 years in case of Govt servants).	Essential : (i) Matriculation or equivalent qualification from recognised University or Board. (ii) Speed in shorthand and type-writing 100 and 40 words per minute respectively.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By direct recruitment.	Not applicable.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme-2. (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi-2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme-1. Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
6. (i) U.D.C. (ii) U.D.C.-cum-Computer	20 38	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted. Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Non-Selection	Not applicable.	Not applicable.



8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	75% by promotion 25% by promotion through limited departmental test.	By promotion from Division Clerk with 8 years regular service in the grade. By promotion through limited departmental test from lower Division Clerk with 5 years regular service in the grade.	Lower (i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme-2. (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi-2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme-1. Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
7. Storekeeper	1	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial)	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Non-Selection	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 35 years in case of Govt. Servants).	A University degree with one year experience in Store keeping. The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	By promotion from Division Clerk with 8 years regular service in the grade.	Lower (i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme-2. (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officers from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi-2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme-1. Note : Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable.



1	2	3	4	5	6	7
8. Lower Division Clerk	34	General Central Service Group 'C' Non-gazetted (Ministerial)	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Not applicable.	Between 18 and 25 years.	(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised University or Board. (ii) Minimum speed of 30 words per minute in typewriting.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	2 years.	90% by direct recruitment 10% of the vacancies shall be filled up from amongst the Group 'D' staff who are Matriculate or possess equivalent qualification and have rendered 5 years of service in Group 'D' on the basis of departmental examination. The maximum age limit for eligibility for examination being 45 years (50 years for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes), provided that the maximum number of persons to be recruited by the method shall be limited to 10% of the vacancies of Lower Division Clerks occurring in a year and unfilled vacancies shall not be carried over.	Not applicable.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—2. (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme—1. Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable.	
1	2	3	4	5	6	7
9. Draftsman Mechanical	1	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 425-12-500-EB-15-560-20-700.	Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 35 years in case of Government servants).	(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised University or Board with diploma or Overseer's certificate in Mechanical Engineering from a recognised Institution. (ii) One years' experience in Mechanical Draftsmanship. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

	8	9	10	11	12	13
No.	2 years.	By promotion failing which by direct recruitment.	By promotion from Draftsman with 8 years regular service in the grade.		(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—2. (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme—1. Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
10, Draftsman	1	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-8-300-EB-8-340-10-380-EB-10-430.	Not applicable.	Between 18 and 25 years.	Matriculation or equivalent qualification from a recognised University or Board with Diploma in draftsmanship from recognised Institute.

	8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.		(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—2. (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—2 (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme—1. Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
11, Research Assistant	2	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Selection	30 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servant)	Essential :— A Master's degree in Zoology. Desirable :— Two years practical experience in a Medical/Research Laboratory.

8	9	10	11	12	13
Age: No. Educational Qualification—As prescribed in column 11	2 years.	By promotion, failing which by direct recruitment.	By promotion from Senior Technicians/Technicians who are Science Graduates and have 3 years regular service in the grade.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—2. (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme—1.	Not applicable.
Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.					

1	2	3	4	5	6	7
12. Technician/ Senior Technician	56	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 380-12-500-EB-15-560.	Non-Selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants).	Essential :— Science Graduate in Biology/Bio-chemistry/Microbiology. Desirable :— One year practical experience in Medical/Biological Laboratory.

8	9	10	11	12	13
No	2 years.	50% by promotion, failing which by direct recruitment. 50% by direct recruitment.	By promotion from Laboratory Assistant/Junior Technician in the scale of Rs. 260-430 with 8 years combined regular service in either of the grades.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—2. (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme—1.	Not applicable.
Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.					

1	2	3	4	5	6	7
13. Laboratory Assistant/Junior Technician	58	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 260-8-300-EB-8-340-10-380-EB-10-430.	Non-Selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government Servants).	Essential :— B.Sc. Desirable :— One year's experience in Medical Biological Laboratory.



8	9	10	11	12	13
No.	2 years.	50% by promotion, 50 % by direct recruitment.	By promotion from Insect Col- lectors with 3 years regular service in the grade.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Pro- gramme—2.  (ii) Deputy Director Administration/Ad- ministrative Officer from Directorate Ge- neral of Health Ser- vices/Any other Ins- titution of this Direc- torate located in Delhi/New Delhi—2.  (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme—1.	Not applicable.
Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.					

1	2	3	4	5	6	7
14. Insect Collector	30	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 260-6-326 EB-8-350.	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Go- vernment servant).	Essential : Higher Secondary with Science. Desirable:— One year's experience in Medical/ Biological Laboratory.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Pro- gramme—2.  (ii) Deputy Director Ad- ministration/Admi- nistrative Officer from Directorate Ge- neral of Health Ser- vices/Any other Insti- tution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—2.  (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme—1.	Not applicable.
Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.					



1	2	3	4	5	6	7
15. Mechanic	2	General Central Service Group 'C' Non-gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 35 years in case of Government servants)	(i) Matric or equivalent qualification from a recognised University or Board. (ii) Diploma in Mechanical and Electrical Welding and fitters from Industrial Training Institute  The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste, and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	7	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	(i) Deputy Director National Malaria Eradication Programme —2  (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services/ Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi —2  (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme —1  Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
16. (i) Driver (ii) Driver-cum-Mechanic	26 1	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Govt. Servants.)	Essential : (i) Possess a valid Driving Licence. (ii) At least 3 years experience in driving.  Desirable : Middle Standard Pass.

8	9	10	11	12	13
Age: No Qlins : Yes	2 years	25% by transfer, failing which by direct recruitment 75% by direct recruitment	By transfer, on the results of a test in driving designed to adjudge the suitability for the post with reference to standards of competence considered essential for drivers of staff car from amongst Group 'D' employees possessing the qualifications prescribed for direct recruits.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—2.  (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services./Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—2  (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme—1.  Note: Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable

	3	4	5	6	7
17. Malaria Inspector	6	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 330-10-380-EB-12-500-ED-15-560	Selection  Between 18 and 25 years.  “(The crucial date for determining age limit will be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).”	Essential : (i) Matriculation or equivalent qualifications from a recognised University or Board. (ii) Should have passed Sanitary/Health Inspector's Course.  Desirable : Training in Malariology and Filariology.

8	9	10	11	12	13
Age: No Qualification: As indicated against col. 11	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	Transferrer by deputation : By promotion from Laboratory Assistants/Junior Technicians in the scale of pay of Rs. 260-430 who have passed Malaria/Filaria/Health / Sanitary Inspector's Course and have five years' regular service in the grade failing which by promotion from Insect Collectors in the scale of pay of Rs. 260-350 who have passed Malaria/Filaria Sanitary/Health Inspectors' course and have five years' regular service in the grade.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme—2 (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from Directorate General of Health Services./Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi—2. (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme—1. Note : Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
18. Telephone Operator.	1	General Central Service Group 'C' (non-gazetted (non-ministerial))	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Govt. servants.)	(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised University or Board. (ii) Experience as Telephone Operator and in handling of P.B.X.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme-2 (ii) Deputy Director Administration/Administrative Officer from the Directorate General of Health Services/Any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi-2 (iii) Deputy Assistant Director, National Malaria Eradication Programme-1 Note : The Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable	

[No. A. 12018/11/79-Admn.II/C&amp;CD]

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1980

सां. कां. नि. 595(घ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रवर्तित शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1978 का अद्यकृतन करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के समूह 'घ' के पदों पर भर्ती करने की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, पर्याप्त :—

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980 है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को लागू होंगे।
- लागू होना :—ये नियम इन नियमों में संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
- संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में निविष्ट है।
- भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वहीं होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में निविष्ट है।
- चपरासी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की होमगार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा :—इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए इन नियमों के अधीन चपरासी के पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए तीन वर्ष की अवधि का होमगार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

परन्तु प्रशिक्षण की अवधि में किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन और उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण के स्तर को देखते हुए कमाण्डेंट जनरल, होमगार्ड्स इस अवधि को घटाकर दो वर्ष कर सकते हैं।

- अर्हता : कोई व्यक्ति :—(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा (ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्त्रीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

- व्याप्ति :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।



## अनुसूची

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या सेवेक्षण पद प्रथम गैर-सेवेक्षण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक तथा अन्य प्रहताएं
1	2	3	4	5	6	7	
1. अपरदासी	19	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ब' प्रराज-पत्रित	196-3-220- दोरो-3-232 रुपये।	गैर-सेवेक्षण	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय)	मिडिल स्टैंडर्ड उत्तीर्ण।	
टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वही अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।							

हवा सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 6 लिए चिह्नित शाय और शैक्षिक प्रहताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिष्कार की प्रवृत्ति भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा बिचिन पद्धतियों द्वारा भरो जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे देख जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति से परिस्थितियां जिन में भर्ती करने के लिए सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	---	---	--

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत स्थानांतरण के द्वारा।	ऐसे सफाईवाला, फरास, चौकी-दार के स्थानांतरण द्वारा जिसकी 6 वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो और जिसे प्रारम्भिक प्रशिक्षण हो तथा हिन्दी प्रथम किसी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ सकता हो।	(1) उप निदेशक राष्ट्रीय भूरेखा उन्मुलन कार्यक्रम (2) उप निदेशक (प्रशासन) या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय प्रथम दिल्ली/नई दिल्ली स्थित इस निदेशालय की किसी अन्य संस्था का प्रशासन अधिकारी। (3) प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय भूरेखा उन्मुलन कार्यक्रम।	लागू नहीं होता।
टिप्पणी : दूरिष्ठतम उप-निदेशक प्रथम होंगे।					



1	2	3	4	5	6	7	8
2. चौकीदार	11	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ब' धराज-पत्रित	196-3-220-20 रो०-3-232 रुपये।	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में शिथिलनीय)	मिडिल स्टेज उतीर्ण, भूतपूर्व सेनिक को तरजीह दी जाएगी।	
					टिप्पणी : भ्रातृ सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वही अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोज-गार कार्यालय को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।		

9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	मौखी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) उप निर्देशक राष्ट्रीय मनेरिया उन्मुखन कार्यक्रम। (2) उप निर्देशक (प्रशासन) या स्वतंत्र सेवा महानिदेशालय अथवा त्रिन्को/आई दिल्ली विद्युत इस निर्देशन को किराये अन्य समान का प्रशासन अधिकारी। (3) प्रशासन अधिपति राष्ट्रीय मनेरिया उन्मुखन कार्यक्रम। टिप्पणी : वरिष्ठतम उप-निदेशक अधिकारी होंगे।

1	2	3	4	5	6	7	8
3. क्लीनर	11	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' धराज-पत्रित।	196-3-220-20 रो०-3-232 रुपये।	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय)	प्रतिवार्यः प्राइमरी स्टेज उन्मुखन। वांछनीयः मोटर वाहन का लाइसेंस रखना हो।	
					टिप्पणी : भ्रातृ सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वही अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।		

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता।	2 वर्ष	सीधा भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	(1) उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (2) उप निदेशक (प्रशासन) या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय अथवा दिल्ली/नई दिल्ली स्थित इस निदेशालय की किसी अन्य संस्था का प्रशासन अधिकारी। (3) प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम।	लागू नहीं होता।
				टिप्पणी :—वरिष्ठतम उप-निदेशक प्रत्यक्ष होंगे।	

1	2	3	4	5	6	7	8
4. सफाईवादा	10	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ब' अराजक पत्रिका।	196-3-220-20 रो-3-232 रुपये।	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय)।	प्राइमरी स्टैज उतीर्ण	
					टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में बही अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।		

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता।	2 वर्ष	सीधा भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	(1) उप-निदेशक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (2) उप-निदेशक (प्रशासन) या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय अथवा दिल्ली/नई दिल्ली स्थित इस निदेशालय की किसी अन्य संस्था का प्रशासन अधिकारी। (3) प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम।	लागू नहीं होता।
				टिप्पणी :—वरिष्ठतम उप-निदेशक प्रत्यक्ष होंगे।	

1	2	3	4	5	6	7	8
5. फील्ड वर्कर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ब' पराज-पञ्चित ।	196-3-220-ब० रो०-3-232 रुपये	लागू नहीं होता ।	18 से 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 31 वर्ष तक निधिसनीय) ।	प्राइमरी स्टेज के अतीत	
					टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निषिद्धिक तारीख प्रत्येक मामले में वही सशिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो ।		

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	सांघी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता ।	(1) उप-निदेशक, राष्ट्रीय मनेरिया उन्मुखन कार्यक्रम । (2) उप-निदेशक (प्रशासन) या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय प्रथम बिस्वी/नई बिस्वी स्थित इस निदेशालय की किसी अन्य सस्था का प्रशासन अधिकारी । (3) प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय मनेरिया उन्मुखन कार्यक्रम ।	लागू नहीं होता ।
				टिप्पणी :—वरिष्ठतम उप-निदेशक प्रथम होंगे ।	

1	2	3	4	5	6	7	8
6. दफतरी	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ब' पराज-पञ्चित ।	200-3-206-4-234-ब० रो०-4-250 रुपये ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा ।	इस ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ।	(1) उप-निदेशक, राष्ट्रीय मनेरिया उन्मुखन कार्यक्रम । (2) उप-निदेशक (प्रशासन) या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय प्रथम बिस्वी/नई बिस्वी स्थित इस निदेशालय की किसी अन्य सस्था का प्रशासन अधिकारी । (3) प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय मनेरिया उन्मुखन कार्यक्रम ।	लागू नहीं होता ।
				टिप्पणी :—वरिष्ठतम उप-निदेशक प्रथम होंगे ।	

[स० ए० 12018/3/79-बी० सी० एफ० सी० बी०]  
सी० ई० एस० मणि, अपर सचिव (स्वास्थ्य)

**G.S.R. 595(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Institute of Communicable Diseases and the National Malaria Eradication Programme (Group D Posts) Recruitment Rules, 1978, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'D' posts in the National Malaria Eradication Programme, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Malaria Eradication Programme (Group 'D' Posts) Recruitment Rules 1980. (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, Classification and scale of pay :—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 3 to 5 of the Schedule aforesaid.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 14 of the said Schedule.

5. Persons appointed as peons to undergo training as Home Guards :—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a peon under these rules shall undergo compulsory training as home guard for a period of three years : Provided that the Commandant General, Homeguards having regard to the performance of, and standard of training achieved by, any person during the period of training, reduce such period to two years.

6. Disqualification :—No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage, with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

S. No.	Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peon	19	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Non-Selection	Between 18 to 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government Servants)	Middle Standard Pass.
						Note:—The crucial date for determination of age limit in each case shall be the last date upto which employment exchange are asked to nominate candidates.	



Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment by deputation, transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, transfer, grades from which promotion, deputation, transfer to be made	If a Departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission, is to be consulted in making recruitment
---	-----------------------------	--	---	--	--

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years.	75 % by direct recruitment and 25 % by transfer.	By transfer from safaiwala, Frash, Chowkidar with 5 years' regular service and who possess elementary literacy and ability to read Hindi or a regional language.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme. (ii) Deputy Director (Admn.) or Administrative Officer from Directorate General of Health Services or any other Institution of this Directorate located in Delhi/ New Delhi. (iii) Administrative Officer, National Malaria Eradication Programme. Note: The senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Chowkidar.	14	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable.	Between 18 to 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants) Note:—The crucial date for determination of age limit in each case shall be last date upto which employment exchange were asked to nominate candidates.		Middle standard pass preferably ex-serviceman.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	(i) Deputy Director, National Malaria Eradication Programme. (ii) Deputy Director (Admn.) from Directorate General of Health Services of Administrative Officer from any other Institution of this Directorate located in Delhi. (iii) Administrative Officer, National Malaria Eradication Programme, Delhi. Note:—The senior-most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Cleaner.		11	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note:—The crucial date for determination of age limit in each case shall be the last date upto which employment exchange were asked to nominate candidates.	Essential: Primary Standard pass. Desirable: possessing Motor Driving Licence.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(i) Deputy National Malaria Eradication Programme. (ii) Deputy (Admn.), Directorate General of Health Services or Administrative Officer from any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi. (iii) Administrative Officer National Malaria Eradication Programme Delhi. Note:—The senior most deputy Director will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Safaiwala		10	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government Servants). Note:—The crucial date for determination of age limit in each case shall be the last date upto which employment exchange were asked to nominate candidates.	Primary Standard pass.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(i) Deputy National Malaria Eradication Programme. (ii) Deputy (Admn.), Directorate General of Health Services or Administrative Officer from any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi. (iii) Administrative Officer National Malaria Eradication Programme Delhi. Note:—The senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
5. Field Worker.	1	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 196-3-220- E B-3-232	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government Servants). Note :—Crucial date for determination of age limit in each case shall be the last date upto which employment exchange were asked to nominate candidates.	Primary Standard Pass

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	(i) Deputy National Malaria Eradication programme. (ii) Deputy Director (Admn.), Directorate General of Health Services or Administrative Officer from any other Institution of this Directorate located in Delhi/New Delhi. (iii) Administrative Officer National Malaria Eradication Programme Delhi. Note :—The senior most Deputy Director will be the Chairman	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
6. Daftry.	2	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 200-3-206- 4-234-EB-4-250	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By promotion	By promotion from peons with 3 years' service in the grade after regular appointment thereto.	(i) Deputy National Malaria Eradication Programme. (ii) Deputy Director (Admn.), Directorate General of Health Services or Administrative Officer from any other Institutions of this Directorate located in Delhi/New Delhi. (iii) Administrative Officer National Malaria Eradication Programme Delhi. Note :—The Senior most Deputy Director will be the Chairman.	Not applicable

[No.A.12018/3/79-G/C&amp;CD]

C.V.S. MANI, Addl. Secretary (Health)